E-31352

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01
संख्या– /XVIII-B-1/2024 -15(25)/2021
देहरादूनःदिनॉक अक्टूबर, 2024

उप सचिव,
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

कृपया अपने पत्र संख्या–242339, दिनांक 24.09.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 3.07.2024 को जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र घनसाली में निम्न घ ोषणा की गयीः–

घोषणा संख्या एवं विभाग	घोषणा का विवरण
367/2024 आपदाप्रबन्धन विभाग	बूढ़ाकेदार आपदा ग्रस्त क्षेत्रान्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षात्मक दीवारों का निर्माण किया जायेगा।

2– उक्त घोषणा के कियान्वयन हेतु तत्काल अग्रेत्तर कार्यवाही कर वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का शासनादेश जारी करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

3– उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्य क्ष, सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–3822, दिनांक 29.8.2024 के द्वारा जनपद टिहरी से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य का आगणन प्रस्ताव राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया था।

जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना विकासखण्ड के बूढ़ा केदार में धर्मगंगा नदी के बांये तट पर व बाल गंगा नदी के दांये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य लागत रू0 1682.37 लाख

4– अवगत कराना है कि कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैंः–

1. बूढ़ाकेदार पौराणिक मन्दिर के साथ–साथ घनी बस्ती की सुरक्षा हेतु 532 मी0 लम्बाई में आर0सी0सी की 8 मी0 उंचाई की सुरक्षा दीवार।
2. बाल गंगा नदी के दांये तट पर बूढाकेदारन बाजार व घनी बस्ती की सुरक्षा हेतु 178 मी0 लम्बाई में आर0सी0सी0 की 8 मी0 उंची सुरक्षा

दीवार।

3. अवशेष 303 मी0 लम्बाई में सी0सी0 ब्लॉक की 08 मी0 उंचाई की सुरक्षा दीवार।

5— प्रश्नगत योजना के आगणन प्रस्ताव को यथा प्रक्रिया मूल्यांकन एवं विभागीय समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 02.09.2024 में समिति के निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया था। समिति द्वारा प्रश्नगत योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रकट करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु संस्तुति की गयी। तत्पश्चात् प्रश्नगत योजना को दिनांक 18.9.2024 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे ंसम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

विभागीय अधिकारियों द्वारा समिति के समक्ष उक्त योजना से सम्बन्धित दिये गये प्रस्तुतीकरण के उपरान्त गहनता से विचार—विमर्श करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा उक्त कार्य को तत्काल सम्पादित कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

6— उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि चूंकि प्रश्नगत योजना की आंकलित लागत रू0 1682.37 लाख है, जो रू0 5.00 करोड़ से अधिक है। चूंकि नियोजन विभाग द्वारा रू0 5.00 करोड़ तक की योजनाओं हेतु सिंचाई विभाग को विभागीय स्तर पर तकनीकी परीक्षण कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है, परन्तु रू0 5.00 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का तकनीकी परीक्षण यथाप्रक्रिया नियोजन विभाग के माध्यम से किया जाता है।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत योजना की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में योजना को भौतिक पत्रावली संख्या—4(49)/24 के माध्यम से तकनीकी परीक्षण हेतु नियोजन विभाग को सदंर्भित किया गया है। नियोजन विभाग द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त प्रश्नगत कार्य हेतु औचित्यपूर्ण पायी जाने वाली लागत पर आपदा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उपरोक्त उक्त घोषणा की अद्यतन स्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।

Signed by
Jyotirmay Tripathi
Date: 21-10-2024 13:10:34

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
अनु सचिव।